रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112024-258902
CG-DL-E-25112024-258902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4663]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2024/अग्रहायण 4, 1946
No. 4663]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2024/AGRAHAYANA 4, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2024

का.आ. 5053(अ).—जबकि, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (जिसे इसके बाद उल्फा कहा गया है) अपने गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ असम राज्य के क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकारक है;

और जबकि, केंद्र सरकार की राय है कि उल्फा ने,-

(i) असम राज्य को भारत से अलग करने के उद्देश्य की घोषणा की हुई है;

(ii) अपने संगठन के लिए लगातार धमकी देने और धन उगाही के कृत्यों को जारी रखा है;

(iii) जबरन वसूली और हिंसा के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ संबंध बनाए रखे हैं;

(iv) अवैध हथियार और गोला-बारूद रखे हैं;

(v) 27 नवंबर, 2019 से 01 जुलाई, 2024 की अवधि के दौरान असम में विस्फोट की या विस्फोटक लगाने की कई घटनाओं सहित, हिंसा की सोलह घटनाएं की है;

(vi) असम में स्वतंत्रता दिवस, 2024 के अवसर पर कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या विस्फोटक

लगाए;

और जबकि, 27 नवंबर, 2019 से 01 जुलाई, 2024 की अवधि के दौरान यह भी पाया गया है कि:

(i) पुलिस या सुरक्षा बलों की कार्यवाही में इसके तीन कट्टर कैडर मारे गए;

(ii) इसके कैडरों के विरुद्ध पंद्रह मामले दर्ज किए गए, तीन आरोप पत्र दाखिल किए गए तथा तीन पर मुकदमा चलाया गया;

(iii) इसके कैडर सत्ताईस अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे;

(iv) इसके छप्पन कैडरों की गिरफ्तारी हुई एवं तिरेसठ कैडरों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया;

(v) इसके पास से सत्ताईस हथियार, पांच सौ पंद्रह राउंड गोला बारूद, नौ ग्रेनेड और दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की बरामदगी हुई;

और जबकि, असम सरकार ने भी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की सिफारिश की है;

और जबकि, केंद्र सरकार की यह भी राय है कि उल्फा की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं, और यदि इन्हें तुरंत रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो उल्फा खुद को फिर से संगठित और हथियारबंद करेगा, अपने कैडरों का विस्तार करेगा, परिष्कृत हथियार खरीदेगा, नागरिकों और सुरक्षा बलों के जीवन का नुकसान करेगा और इस तरह यह अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तेज कर सकता है;

और जबकि, केंद्र सरकार की यह भी राय है कि उपरोक्त कारणों से, उल्फा, अपने गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ, एक विधिविरुद्ध संगम है;

अब, इसलिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करती है;

केंद्र सरकार का मत है कि यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम की उपरोक्त गैरकानूनी गतिविधियों, और इसके द्वारा विगत में की गई गतिविधियों, को ध्यान में रखते हुए ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके कारण यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम को, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ, तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक हो जाता है। अत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी आदेश के अध्यधीन, 27 नवंबर 2024 से तत्काल प्रभाव से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/03/2024-एनई. V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2024

S.O. 5053(E).—WHEREAS, the United Liberation Front of Asom along with all its factions, wings and front

organisations (hereinafter referred to as the ULFA) has been involved in such activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that ULFA has,-

(i) declared objective to secede the State of Assam from India;

(ii) continued intimidation and extortion of funds for their organisation;

(iii) maintained links with other insurgent groups for extortion and violence;

(iv) possessed illegal arms and ammunitions;

(v) indulged in sixteen criminal cases, including several cases of explosions or planting of explosives in Assam, during the period from 27th November, 2019 to 1st July, 2024;

(vi) planted several improvised explosive devices or explosives in the run up to Independence Day, 2024 across Assam;

AND WHEREAS, in the case of ULFA, the following has also been noted during the period from 27th November, 2019 to 1st July, 2024 :-

(i) killing of three hardcore cadres in Police or Security Force action;

(ii) registration of fifteen cases against its cadres with three charge sheets filed and three cadres prosecuted;

(iii) involvement in twenty-seven other criminal activities;

(iv) arrest of fifty-six cadres and surrender by sixty-three cadres;

(v) recovery of twenty-seven arms, five hundred fifteen rounds ammunitions, nine Grenades and two improvised explosive devices;

AND WHEREAS, the Government of Assam has also recommended for declaration of ULFA as an unlawful association under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of ULFA are, detrimental to the sovereignty and integrity of India and if these are not immediately curbed and controlled, the ULFA may regroup and rearm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and security forces and thereby accelerate its anti-national activities;

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the ULFA together with its factions, wings and front organisations, is an unlawful association;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Asom (ULFA) along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the unlawful activities mentioned above, and the unlawful activities committed in the past by United Liberation Front of Asom, is of the opinion that circumstances exist which render it necessary to declare the United Liberation Front of Asom alongwith all its factions, wings and front organisations to be unlawful association with immediate effect and accordingly, in the exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have immediate effect from the 27th November, 2024, for a period of five years.

[F. No. 11011/03/2024-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.25 16:14:23 +05'30'